MATP/D.No. 366

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY, PART II, SECTION 3, SUB-SECTION (ii)]

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
DEPARTMENT OF REVENUE
[CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES]
Notification

New Delhi, the 23rd day of September, 2013

24/9

INCOME-TAX

S.O.--------(E).- In exercise of the powers conferred by sections 101 and144BA read with section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely:-

1. (1) These rules may be called the Income-tax (17th Amendment) Rules, 2013.
   (2) They shall come into force on the 1 st day of April, 2016.

2. In the Income-tax Rules, 1962, –

(a) after rule 10T, the following rules shall be inserted, namely: -

" *DA. Application of General Anti Avoidance Rule*

Chapter X-A not to apply in certain cases

10U. (1) The provisions of Chapter X-A shall not apply to -

(a) an arrangement where the tax benefit in the relevant assessment year arising, in aggregate, to all the parties to the arrangement does not exceed a sum of rupees three crore;

(b) a Foreign Institutional Investor, –

(i) who is an assessee under the Act;

(ii) who has not taken benefit of an agreement referred to in section 90 or section 90A as the case may be; and

(iii) who has invested in listed securities, or unlisted securities, with the prior permission of the competent authority, in accordance with the Securities and Exchange Board of India (Foreign Institutional Investor) Regulations, 1995 and such other regulations as may be applicable, in relation to such investments;

(c) a person, being a non-resident, in relation to investment made by him by way of offshore derivative instruments or otherwise, directly or indirectly, in a Foreign Institutional Investor;

(d) any income accruing or arising to, or deemed to accrue or arise to, or received or deemed to be received by, any person from transfer of investments made before the 30th day of August, 2010 by such person.

(2) Without prejudice to the provisions of clause (d) of sub-rule (1), the provisions of Chapter X-A shall apply to any arrangement, irrespective of the date on which it has been entered into, in respect of the tax benefit obtained from the arrangement on or after the 1st day of April, 2015.

(3) For the purposes of this rule, -

(i) "Foreign Institutional Investor" shall have the same meaning as assigned to it in the Explanation to section 115AD;

(ii) "off shore derivative instrument" shall have the same meaning as assigned to it in the Securities and Exchange Board of India (Foreign Institutional

Investor) Regulations, 1995 issued under Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992) ;

(iii) "Securities and Exchange Board of India" shall have the same meaning as assigned to it in clause (a) of sub-section (1) of section 2 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992);

(iv) "tax benefit" as defined in clause (10) of section 102 and computed in accordance with Chapter X-A shall be with reference to-

(a) sub-clauses (a) to (e) of the said clause , the amount of tax; and

(b) sub-clause (f) of the said clause, the tax that would have been chargeable had the increase in loss referred to therein been the total income.

Determination of consequences of impermissible avoidance arrangement.

10UA . For the purposes of sub-section (1) of section 98, where a part of an arrangement is declared to be an impermissible avoidance arrangement, the consequences in relation to tax shall be determined with reference to such part only.

Notice, Forms for reference under section 144BA

10UB. (1)For the purposes of sub-section (1) of section 144BA, the Assessing Officer shall, before making a reference to the Commissioner, issue a notice in writing to the assessee seeking objections, if any, to the applicability of provisions of Chapter X-A in his case.

(2) The notice referred to in sub-rule (1) shall contain the following: -

(i) details of the arrangement to which the provisions of Chapter X-A are proposed to be applied;

(ii) the tax benefit arising under the arrangement;

(iii) the basis and reason for considering that the main purpose of the identified arrangement is to obtain tax benefit;

(iv) the basis and the reasons why the arrangement satisfies the condition provided in clause (a), (b), (c) or (d) of sub-section (1) of section 96; and

(v) the list of documents and evidence relied upon in respect of (iii) and (iv) above.

(3) The reference by the Assessing Officer to the Commissioner under sub-section (1) of section 144BA shall be in Form No.3CEG.

(4) Where the Commissioner is satisfied that the provisions of Chapter X-A are not required to be invoked with reference to an arrangement after considering –

(i) the reference received from the Assessing Officer under sub-section (1) of section 144BA; or

(ii) the reply of the assessee in response to the notice issued under sub-section (2) of section 144BA,

he shall issue directions to the Assessing Officer in Form No. 3CEH.

(5) Before a reference is made by the Commissioner to the Approving Panel under sub-section (4) of section 144BA, he shall record his satisfaction regarding the applicability of the provisions of Chapter X-A in Form No. 3CEI and enclose the same with the reference.

Time limits.

10UC. (1)For the purposes of section 144BA,–

(i) no directions under sub-section (3) of section 144BA shall be issued by the Commissioner after the expiry of one month from the end of

the month in which the date of compliance of the notice issued under sub-section (2) of section 144BA falls;

(ii) no reference shall be made by the Commissioner to the Approving Panel under sub-section (4) of section 144BA after the expiry of two months from the end of the month in which the final submission of the assessee in response to the notice issued under the sub-section(2) of section 144BA is received;

(iii) the Commissioner shall issue directions to the assessing officer in Form No.3CEH, -

(a) in the case referred to in clause (i) of sub-rule (4) of rule 10UB, within a period of one month from the end of month in which the reference is received by him; and

(b) in the case referred to in clause (ii) of sub-rule (4) of rule 10UB, within a period of two months from the end of month in which the final submission of the assessee in response to the notice issued under sub-section (2) of section 144BA is received by him.";

(b) in Appendix-II, after Form No. 3CEF, the following Forms shall be inserted, namely:-

"FORM NO. 3CEG

[*See* sub-rule (3) of rule 10UB]

Form for making the reference to the Commissioner by the Assessing Officer

u/s 144BA(1)

1	Name and address of the assessee	

2	PAN	
3	Status (Individual/ Company etc)	
4	Residential status	
5	Assessment year(s) in respect of which the proceedings under section 144BA are proposed to be invoked : (a) Assessment years for which proceedings are pending (b) Other assessment years proposed to be covered	
6	Factual matrix of the arrangement entered into by the assessee including details of other parties.	
7	Details of tax benefit (assessment year wise) arising under the arrangement: - (i) to the assessee (ii) to all parties to the arrangement	
8	Brief facts in respect of computation of tax benefit	
9	Whether obtaining the tax benefit is the main purpose of the arrangement or part of the arrangement?	
10	Whether notice under sub-rule (1) of rule 10UB has been served on the assessee , if yes date of service of the notice .	
11	Summary of the reply of the assessee in response to the notice.	
12	Indicate which of the following conditions is satisfied by the arrangement (along with basis of such conclusion). (a) creates rights, or obligations, which are not ordinarily created between persons dealing at arm's length; (b) results, directly or indirectly, in the misuse, or abuse, of the provisions of this Act; (c) lacks commercial substance or is deemed to lack commercial substance under section 97, in whole or in part; or (d) is entered into, or carried out, by means, or in manner, which are not ordinarily employed for bonafide purposes.	

13	Brief reasons for seeking declaration of the arrangement as impermissible avoidance arrangement.	
14	Consequences in relation to tax likely to arise if the arrangement is declared as an impermissible avoidance arrangement	
15	The last date for completion of assessment or reassessment proceedings.	

Date: Name and Designation of
Place: Assessing Officer

1. Commissioner of Income-tax

FORM NO.3CEH

[*See* sub-rule (4) of rule 10UB]

Form for returning the reference made under section 144BA

1	Name and address of the assessee	
2	PAN	
3	Status (Individual/ Company etc)	
4	Residential status	
5	Assessment year(s) in respect of which the proceedings under section 144BA were proposed to be invoked.	

6	Date of receipt of reference in Form No. 3CEG from the Assessing Officer.	
7	The basis of finding that Chapter X-A is not applicable for assessment year (s).	

Date:
Place:

Name & Designation of
Commissioner

1. Assessing Officer

2. Assessee

FORM NO.3CEI

[*See* sub-rule (5) of rule 10UB]

Form for recording the satisfaction by the Commissioner before making a reference to the Approving Panel under sub-section (4) of section 144BA

1	Name and address of the assessee	
2	PAN	
3	Status (Individual/ Company etc)	
4	Residential status	
5	Assessment year(s) in respect of which the proceedings under section 144BA are proposed to be invoked : (a) Assessment years for which proceedings are pending (b) Other assessment years proposed to be covered	

6	Date of receipt of Form No.3CEG from the Assessing Officer.	
7	Date of issuance of notice, setting out reasons, by the CIT to the assessee under sub-section (2) of section 144BA (copy thereof to be enclosed)	
8	Date of receipt of final submission from the assessee and dates of hearing provided to the assessee (copy of final submission of the assessee to be enclosed).	
9	Factual matrix of the arrangement in respect of which the reference is being made.	
10	Details of tax benefit (assessment year wise) arising under the arrangement: – (i) to the assessee (ii) to all parties to the arrangement	
11	Brief facts in respect of computation of tax benefit	
12	Whether obtaining the tax benefit is the main purpose of the arrangement or the part of the arrangement?	
13	Indicate which of the following conditions is satisfied by the arrangement (along with basis of such conclusion). (a) creates rights, or obligations, which are not ordinarily created between persons dealing at arm's length; (b) results, directly or indirectly, in the misuse, or abuse, of the provisions of this Act; (c) lacks commercial substance or is deemed to lack commercial substance under section 97, in whole or in part; or (d) is entered into, or carried out, by means, or in manner, which are not ordinarily employed for bonafide purposes.	
14	Has the assessee been given an opportunity of being heard with regard to the findings given in columns 11, 12 and 13 ? If yes, provide the gist of the reply furnished by the assessee.	
15	Detailed reasons for being satisfied that the arrangement is an impermissible avoidance arrangement.	
16	Consequences in relation to tax likely to arise if arrangement is declared as an impermissible avoidance arrangement.	

17	The last date for completion of assessment or reassessment proceedings.	

Date:
Place:

Name and Designation of
Commissioner ".

[Notification No. 75 /2013/ F.No.142/19/2013-TPL]

(Amit Katoch)
Under Secretary to the Government of India

Note. - The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* notification number S.O. 969 (E), dated the 26th March, 1962 and last amended by Income-tax (16th Amendment) Rules, 2013 *vide* notification number S.O. 2810 (E) dated 18-09-2013.

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 सितंबर, 2013

आय-कर

का0आ0.........(अ).- केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 101 और धारा 144खक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयकर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :--

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आयकर (17वां संशोधन) नियम, 2013 है ।

(2) ये 1 अप्रैल, 2016 से प्रवृत्त होंगे ।

2. आयकर नियम, 1962 में,-

(क) नियम 10न के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

" घक. सामान्य कर परिवर्जन रोधी नियम का लागू होना

अध्याय 10-क कतिपय मामलों में लागू नहीं होगा

10प. (1) अध्याय 10क के उपबंध निम्नलिखित को लागू नहीं होंगे -

(क) कोई ठहराव जिसमें सुसंगत निर्धारण वर्ष में ठहराव के सभी पक्षकारों को उद्भूत होने वाले कर फायदे का योग तीन करोड़ रुपए की राशि से अधिक नहीं होता है ;

(ख) कोई विदेशी सांस्थानिक निवेशक,-

(i) जो अधिनियम के अधीन कोई निर्धारिती है;

(ii) जिसने यथास्थिति धारा 90 या धारा 90क में निर्दिष्ट किसी ठहराव का फायदा नहीं लिया है; और

(iii) जिसने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (विदेशी सांस्थानिक निवेशक) विनियम, 1995 और ऐसे विनिधानों के संबंध में लागू अन्य विनियमों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा से सूचीबद्ध प्रतिभूतियों या असूचीबद्ध प्रतिभूतियों में विनिधान किया है;

(ग) कोई व्यक्ति जो अपतट व्युत्पन्नी लिखतों या अन्यथा प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: किए गए विनिधानों के संबंध में अनिवासी है;

(घ) किसी व्यक्ति को 30 अगस्त, 2010 से पूर्व विनिधानों के अंतरण से ऐसे व्यक्ति को उद्भूत कोई आय या उद्भूत या उत्पन्न समझी गई कोई आय या प्राप्त या प्राप्त की गई समझी गई आय;

(2) उपनियम (1) के खंड (घ) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना अध्याय 10क के उपबंध उस तारीख पर विचार किए बिना जिसको कोई ठहराव किया गया था ऐसे ठहराव से 1 अप्रैल, 2015 को या उसके पश्चात् अभिप्राप्त कर फायदे को लागू होंगे ।

(3) इस नियम के प्रयोजन के लिए,-

(i) "विदेशी सांस्थानिक निवेशक" का वही अर्थ होगा जो उसका धारा 115कघ के स्पष्टीकरण में है;

(ii) "अपतट व्युत्पन्नी लिखत" का वही अर्थ होगा जो उसका भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) के अधीन जारी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड विनियम 1995 में है ;

(iii) "भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड" का वही अर्थ होगा जो उसका भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (क) में है;

(iv) धारा 102 के खंड (10) में यथा परिभाषित और अध्याय 10क के अनुसार संगणित "कर फायदा" निम्नलिखित को निर्दिष्ट करेगा-

(क) उक्त खंड के उपखंड (क) से उपखंड (ङ), कर की रकम; और

(ख) उक्त खंड का उपखंड (च), वह कर जो प्रभार्य होगा जब उसमें निर्दिष्ट हानि में वृद्धि कुल आय थी ।

अननुज्ञेय परिवर्जन ठहराव के अवधारण के परिणाम

10पक. धारा 98 की उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए जहां किसी ठहराव के भाग को अननुज्ञेय परिवर्जन ठहराव घोषित किया जाता है तो कर के संबंध में परिणामों का अवधारण केवल ऐसे भाग को निर्दिष्ट करते हुए किया जाएगा ।

धारा 144खक के अधीन निर्दिष्ट करने के लिए सूचना, प्ररूप

10पख. (1) धारा 144खक की उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए निर्धारण अधिकारी आयुक्त को निर्देश करने से पूर्व निर्धारिती को उसके मामले में अध्याय 10क के उपबंधों के लागू होने के प्रति आक्षेपों, यदि कोई हो, की ईप्सा, करते हुए एक लिखित सूचना जारी करेगा ।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट सूचना में निम्नलिखित अंतर्विष्ट होगा:-

(i) ठहराव के ब्यौरे जिसको अध्याय 10क के उपबंधों का लागू किया जाना प्रस्तावित है ;

(ii) ठहराव के अधीन उद्भूत होने वाला कर फायदा ;

(iii) यह विचार करने का आधार और कारण कि पहचाने गए ठहराव का मुख्य प्रयोजन कर फायदा अभिप्राप्त करना है ;

(iv) इस बात का आधार और कारण कि क्यों ठहराव धारा 96 की उपधारा (1) के खंड (क), खंड (ख), खंड (ग) या खंड (घ) में उपबंधित शर्तों को पूरा करता है ; और

(v) उन दस्तावेजों और साक्ष्यों की सूची जिनपर पूर्वोक्त (iii) और (iv) पर निर्भर किया गया है।

3. निर्धारण अधिकारी का आयुक्त को धारा 144खक की उपधारा (1) के अधीन निर्देश प्ररूप संख्या 3गङछ में होगा ।

4. जब आयुक्त का निम्नलिखित पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो जाता है कि अध्याय 10क के उपबंधों को किसी ठहराव को निर्दिष्ट करते हुए लागू करना अपेक्षित

नहीं है-

(i) धारा 144खक की उपधारा (1) के अधीन किसी निर्धारण अधिकारी से प्राप्त निर्देश ;या

(ii) धारा 144खक की उपधारा (2) के अधीन जारी सूचना के प्रत्युत्तर में निर्धारिती का उत्तर,

तो वह निर्धारण अधिकारी को प्ररूप संख्या कङज में निदेश जारी करेगा ।

5. धारा 144 खक की उपधारा (4) के अधीन अनुमोदन पैनल को आयुक्त द्वारा निर्देश किए जाने से पूर्व वह अध्याय 10क के उपबंधों के लागू होने के संबंध में अपने समाधान को प्ररूप संख्या 3गङझ में अभिलिखित करेगा और उसे निर्देश के साथ संलग्न करेगा ।

समय सीमा

10पग(1) धारा 144खक के प्रयोजनों के लिए,-

(i) आयुक्त द्वारा धारा 144खक की उपधारा (3) के अधीन उस मास की समाप्ति से जिसको धारा 144 खक की उपधारा (2) के अधीन अनुपालन की सूचना जारी की गई थी की तारीख आती है से एक मास की अवधि की समाप्ति के पश्चात् कोई निदेश जारी नहीं किया जाएगा ;

(ii) आयुक्त द्वारा धारा 144खक की उपधारा (4) के अधीन अनुमोदन पैनल को उस मास जिसको धारा 144 खक की उपधारा (2) के अधीन जारी सूचना के प्रत्युत्तर में निर्धारिती की अंतिम प्रस्तुती प्राप्त की गई थी की समाप्ति से दो मास की अवधि की समाप्ति के पश्चात्, कोई निर्देश नहीं किया जाएगा ;

(iii) आयुक्त निर्धारण अधिकारी को प्ररूप संख्या 3गङज में निदेश जारी करेगा,-

(क) नियम 10पख के उपनियम (4) के खंड (i) में निर्दिष्ट मामले की दशा में उस तारीख जिसमें उसके द्वारा निर्देश प्राप्त किया गया है, की समाप्ति से एक मास की अवधि के भीतर ; और

(ख) नियम 10पख के उपनियम (4) के खंड (ii) में निर्दिष्ट मामले की दशा में उस मास जिसमें धारा 144 खक की उपधारा (2) के अधीन जारी सूचना के प्रत्युत्तर में निर्धारिती की अंतिम प्रस्तुती प्राप्त की गई थी की समाप्ति से दो मास की अवधि के भीतर ।" ;

(ख) परिशिष्ट 2 में, प्ररूप संख्या 3गङच के पश्चात् निम्नलिखित प्ररूप अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

"प्ररूप संख्या 3गङछ

[नियम 10पख का उपनियम (3) देखें]

धारा 144 खक (1) के अधीन निर्धारण अधिकारी द्वारा आयुक्त को निर्देश करने का प्ररूप

1	निर्धारिती का नाम और पता	
2	पैन	
3	प्रास्थिती (व्यष्टि/कंपनी आदि)	
4	निवास की प्रास्थिति	
5	वे निर्धारण वर्ष जिनके संबंध में धारा धारा 144 खक के अधीन कार्यवाहियां किया जाना प्रस्तावित है: (क) वे निर्धारण वर्ष जिनके लिए कार्यवाहियां लंबित हैं (ख) अन्य निर्धारण वर्ष जिनको कवर किया जाना प्रस्तावित है	
6	अन्य पक्षकारों के ब्यौरों सहित निर्धारिती द्वारा किए गए ठहराव का तथ्यात्मक मैट्रिक्स	
7	ठहराव के अधीन उद्भूत होने वाले कर फायदे (निर्धारण वर्षवार) ब्यौरे:- (i) निर्धारिती को (ii) ठहराव के अन्य सभी पक्षकारों को	
8	कर फायदे की संगणना के संबंध में संक्षिप्त तथ्य	
9	क्या कर फायदा अभिप्राप्त करना ठहराव का मुख्य	

	प्रयोजन था या ठहराव का एक भाग?	
10	क्या नियम 10पख के उपनियम (1) के अधीन निर्धारिती को सूचना की तामील की गई है, यदि हां तो सूचना तामील करने की तारीख	
11	सूचना के प्रत्युत्तर में निर्धारिती के उत्तर का संक्षिप्त विवरण	
12	उपदर्शित करें कि निम्नलिखित शर्तों में से ठहराव द्वारा कौन सी शर्तें पूरी की गई हैं (ऐसे निष्कर्ष के लिए आधार सहित) (क) ऐसे अधिकार या बाध्यताएं सृजित करता है जो साधारणतया सन्निकट रूप से व्यौहार करने वाले व्यक्तियों के बीच सृजित नहीं होती हैं ; (ख) उसका परिणाम प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: अधिनियम के उपबंधों का दुरुपयोग या गलत उपयोग है ; (ग) वाणिज्यिक सार नहीं है या पूर्णतया या भागत: धारा 97 के अधीन उसमें वाणिज्यिक सार की कमी समझी गई है; या (घ) ऐसे साधनों से या ऐसे रीति में किया गया है या पूरा किया गया है जो साधारणतया सद्भावपूर्वक प्रयोजनों के लिए नहीं किया जाता है	
13	ठहराव को अननुज्ञेय परिवर्जन ठहराव घोषित करने की ईप्सा के संक्षिप्त कारण	
14	यदि ठहराव को अननुज्ञेय परिवर्जन ठहराव घोषित किया जाता तो कर के संबंध में संभावित उद्भूत होने वाले परिणाम	
15	निर्धारण या पुन:निर्धारण कार्यवाहियों के पूरा होने की अंतिम तारीख	

तारीख:

स्थान:

निर्धारण अधिकारी का नाम और पदनाम

1. आयकर आयुक्त

प्ररूप संख्या 3गङज

[नियम 10पख का उपनियम (4) देखें]

धारा 144खक के अधीन किए गए निर्देश को वापिस करने का प्ररूप

1	निर्धारिती का नाम और पता	
2	पैन	
3	प्रास्थिती (व्यष्टि/कंपनी आदि)	
4	निवास की प्रास्थिति	
5	वे निर्धारण वर्ष जिनके संबंध में धारा धारा 144 खक के अधीन कार्यवाहियां किया जाना प्रस्तावित है: (क) वे निर्धारण वर्ष जिनके लिए कार्यवाहियां लंबित हैं (ख) अन्य निर्धारण वर्ष जिनको कवर किया जाना प्रस्तावित है	
6	निर्धारण अधिकारी से प्ररूप संख्या 3गङछ में निर्देश प्राप्त करने की तारीख	
7	यह पता लगाने का आधार कि अध्याय 10क निर्धारण वर्ष (षों) के लिए लागू नहीं होता है	
तारीख: स्थान:		आयुक्त का नाम और पदनाम
1. निर्धारण अधिकारी		
2. निर्धारिती		

प्ररूप संख्या 3गङझ

[नियम 10पख का उपनियम (5) देखें]

धारा 144खक की उपधारा (4) के अधीन अनुमोदन पैनल को निर्देश करने से पूर्व आयुक्त द्वारा सामाधान अभिलिखित करने का प्ररूप

1	निर्धारिती का नाम और पता	
2	पैन	
3	प्रास्थिती (व्यष्टि/कंपनी आदि)	
4	निवास की प्रास्थिति	
5	वे निर्धारण वर्ष जिनके संबंध में धारा धारा 144 खक के अधीन कार्यवाहियां किया जाना प्रस्तावित है: (क) वे निर्धारण वर्ष जिनके लिए कार्यवाहियां लंबित हैं (ख) अन्य निर्धारण वर्ष जिनको कवर किया जाना प्रस्तावित है	
6	निर्धारण अधिकारी से प्ररूप संख्या 3गङछ में निर्देश प्राप्त करने की तारीख	
7.	धारा 144खक की उपधारा (2) के अधीन निर्धारिती को आय-कर आयुक्त द्वारा कारण दर्शित करते हुए नोटिस जारी करने की तारीख	
8.	निर्धारिती से अंतिम प्रस्तुतीकरण की प्राप्ति की तारीख तथा निर्धारिती को प्रदत्त सुनवाई की तारीख (निर्धारिती द्वारा अंतिम प्रस्तुतीकरण की प्रति संलग्न की जाए)	
9	अन्य पक्षकारों के ब्यौरों सहित निर्धारिती द्वारा किए गए ठहराव का तथ्यात्मक मैट्रिक्स	

10	ठहराव के अधीन उद्भूत होने वाले कर फायदे (निर्धारण वर्षवार) ब्यौरे:- (i) निर्धारिती को (ii) ठहराव के अन्य सभी पक्षकारों को	
11	कर फायदे की संगणना के संबंध में संक्षिप्त तथ्य	
12	क्या कर फायदा अभिप्राप्त करना ठहराव का मुख्य प्रयोजन था या ठहराव का एक भाग?	
13	उपदर्शित करें कि निम्नलिखित शर्तों में से ठहराव द्वारा कौन सी शर्तें पूरी की गई हैं (ऐसे निष्कर्ष के लिए आधार सहित) (क) ऐसे अधिकार या बाध्यताएं सृजित करता है जो साधारणतया सन्निकट रूप से व्यौहार करने वाले व्यक्तियों के बीच सृजित नहीं होती हैं ; (ख) उसका परिणाम प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: अधिनियम के उपबंधों का दुरुपयोग या गलत उपयोग है ; (ग) वाणिज्यिक सार नहीं है या पूर्णतया या भागत: धारा 97 के अधीन उसमें वाणिज्यिक सार की कमी समझी गई है; या (घ) ऐसे साधनों से या ऐसे रीति में किया गया है या पूरा किया गया है जो साधारणतया सद्भावपूर्वक प्रयोजनों के लिए नहीं किया जाता है	
14	क्या निर्धारिती को सतम्भ 11, सतम्भ 12 और सतम्भ 13 में पाए गए निष्कर्षों के संबंध में सुने जाने का अवसर दिया गया है ? यदि हां तो निर्धारिती द्वारा दिए गए उत्तर का सार प्रस्तुत करें ।	
15	इस समाधान के विस्तृत व्यौरे कि ठहराव अननुज्ञेय परिवर्जन ठहराव है ।	
16	यदि ठहराव को अननुज्ञेय परिवर्जन ठहराव घोषित	

	किया जाता तो कर के संबंध में संभावित उद्भूत होने वाले परिणाम ।	
17	निर्धारण या पुन:निर्धारण कार्यवाहियों के पूरा होने की अंतिम तारीख	

तारीख:

स्थान:

आयुक्त का नाम और पदनाम

[अधिसूचना संख्या..75../2013/फा. सं. 142/19/20/2013-टीपीएल]

(अमित कटोच)

अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण- मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना संख्या का.आ. 969 (अ) 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और इनका अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्या का.आ 2810(अ) तारीख 18/09/2013आय-कर (16 वां संशोधन) नियम, 2013 द्वारा किया गया था ।